

५/७/२०१६

टिप्पणी अंकित की। उष्णी तथा उष्णी अधिवक्ता के  
सुना गया। उष्णी तथा उष्णी अधिवक्ता द्वारा कृष्ण  
क्रिये गये कि वे फवावली पर आगे किमी पुश्तर डीकार्यवाही  
नही चाहते हैं। ऐसी रिपोर्ट में फवावली पर डोरी डायवाही  
अपेक्षित नही रह जाती है। अतः उष्णी तथा उष्णी  
अधिवक्ता के मौखिक कृष्ण तथा आदेशिका पर  
भीकते टिप्पणी को स्वीकार किया जाकर फवावली पर  
डायवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। फवावली  
फैसला शुमार हो। नम्बर से कम होकर काखिल  
दफतर हो।

↓

S/O, BHANAR  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (केकड़ी)